बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 419848 पटना, दिनांक 08/04/19

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो(रा0ह018-19)-102-27/2018

प्रेषक,

राजेश परिमल,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय:- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत नियोजित कार्यपालक सहायक के मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान हेतु निधि की अधियाचना के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के माध्यम से नियोजित कार्यपालक सहायकों के मानदेय का भुगतान जिला स्तर से योजना के प्रशासनिक मद के अंतर्गत प्राप्त राशि से किया जाता है । इन कर्मियों को बिना किसी विलम्ब के पारिश्रमिक का भुगतान निरंतर होता रहे इसके लिए जिलों से इस मद में निधि की आवश्यकता का आकलन किया जाना आवश्यक है । विदित है कि पूर्व में इन कर्मियों को 31.03.2019 तक देय अनुमान्य राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में इस मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने जिले से संबंधित निधि की आवश्यकता का आकलन करके अधियाचना निम्न प्रपत्र में दिनांक 30.04.2019 तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय :-

कार्यरत कार्यपालक सहायकों की सं0	प्रतिमाह अनुमान्य मानदेय/पारिश्रमिक (EPF अंशदान सहित)	अनुमान्य वार्षिक व्यय (01.04.19 से 31.03.20 तक के लिए)	मानदेय/पारिश्रमिक (EPF अंशदान सहित) मद में पूर्व का यदि कोई बकाया हो तो उसकी राशि	मानदेय/पारिश्रमिक (EPF अंशदान सहित) मद में पूर्व से उपलब्ध राशि	अधियाचना की राशि
1	2	3	4	5	6

विश्वासभाजन

5-4-19

(राजेश परिमल)
सरकार के उप सचिव

D:\SECTION-5 BACKUP\D Drive\Mukesh\IAY 2152.doc